रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 115] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 12, 1987/फाल्गुन 21, 1908
No. 115] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 12, 1987/PHALGUNA 21, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 मार्च 1987

अधिसूचना

का. आ. 208(अ):—केन्द्रीय सरकार, आसूचना संगठन (अधिकार-निर्बन्धन) अधिनियम, 1985 (1985 का 58) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की अनुसूची का संशोधन करती है, अर्थात्:—

1. आसूचना संगठन (अधिकार-निर्बन्धन) अधिनियम, 1985 की अनुसूची में क्रम सं. 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:--

"3. सुरक्षा महानिदेशालय"।

2. यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

[सं. एच-25011/1/86-जी. पी. ए.-III]
वी. के. जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 11th March, 1987

NOTIFICATION

S.O. 208(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 6 of the Intelligence Organisations (Restriction of Rights) Act, 1985 (58 of 1985) the Central Government hereby amends the Schedule to the said Act, namely :—

1. In the Schedule to the Intelligence Organisations (Restriction of Rights) Act, 1985, after serial number 2 and entries therein the following shall be added namely :—

"3. Directorate General of Security".

2. It shall come into force with immediate effect.

[No. 25011|1|86-GPA. III]
V. K. JAIN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987